**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 836**

**28 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए**

 **पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम करार का उल्लंघन किया जाना**

**836. श्री परवेज़ हाशमी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान बार-बार युद्धविराम करार का उल्लंघन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2013-14 से जून, 2015 तक युद्ध विराम के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अवधियों के दौरान कितने भारतीय नागरिक और भारतीय सैनिक हताहत हए ; और

(घ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)**

(क) और (ख) : भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघनों का विवरण इस प्रकार है :-

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **युद्ध विराम उल्लंघनों की संख्या** |
| 2013 | 347 |
| 2014 | 583 |
| 2015 (30 जून तक) | 199 |

(ग) हताहतों का विवरण इस प्रकार है :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  वर्ष | नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघनों तथा अन्य घटनाओं के दौरान शहीद हुए सैनिकों की संख्या | युद्ध विराम उल्लंघनों में मारे गए नागरिकों की संख्या |
| 2013 | 10 | 0 |
| 2014 | 04 | 13 |
| 2015 (30 जून तक) | 02 | 02 |

(घ) युद्ध विराम उल्लंघन की सभी घटनाओं को पाकिस्तान सैन्य प्राधिकारियों के साथ उचित स्तर पर हॉट लाइन, ध्वज बैठकों के साथ-साथ दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के बीच साप्ताहिक वार्ताओं के सुस्थापित तंत्र के माध्यम से उठाया जाता है । सीमा सुरक्षा बल भी अपने समकक्ष बल पाकिस्तान रैंजर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं करता रहता है ।

 राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा (एलसी) की अलंघ्यता को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर वर्ष 2003 की युद्ध विराम वचनबद्धता का पालन करने की आवश्यकता पर भारत उच्चतम स्तर सहित बार-बार बल देता रहा है ।

\*\*\*\*